

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव
(पीठासीन अधिकारी श्री महावीरसिंह जोधा, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 179/2022

अन्तर्गत धारा 251A RT Act.

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1. कमाल पुत्र होत 2. खमीशा पुत्र होत 3. सीदिक पुत्र होत जाति मुसलमान, निवासी भीभड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राज. राज्य जरिये तहसीलदार शिव 2. जाकब पुत्र होत - फौत 2.1 वाधेखान पुत्र जाकब 2.2 काजी पुत्र जाकब जाति मुसलमान, निवासी भीभड़ा तहसील शिव, जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबंधक, दी सेन्द्रल को ऑपरेटिव शाखा शिव

उपस्थित :- 1. अधिवक्ता प्रार्थीगण - श्री बृजमोहन कुमावत।

-:: आदेश ::-

दिनांक : 30.06.2023

संक्षेप में आवेदन के तथ्य निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण का खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 17.8385 हैक्टेयर मौजा भीभड़ा, तहसील शिव में आया हुआ है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी जोत में आने जाने हेतु उससे लगते विप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 550, 551 रकबा क्रमशः 3.2375, 7.5352 हैक्टेयर की खातेदारी भूमि में प्रार्थीगण के आवागमन हेतु नवीन रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तावित भूमि विप्रार्थीगण के आधिपत्य की भूमि है। प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में काश्त करने के लिए तथा कृषि कार्य के लिए ट्रैक्टर व अन्य साधन लाने व ले जाने हेतु उक्त प्रस्तावित रास्ते का ही उपयोग लिया जा रहा है। प्रार्थीगण को उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रस्तावित रास्ता आगे डामर सड़क मार्ग से जुड़ने हेतु चाहा गया है। प्रार्थीगण का उक्त प्रस्तावित रास्ता नियमानुसार धारा 251 ए की सम्पूर्ण अर्हताएं पूरी करता है। अतः प्रार्थीगण का निवेदन है कि प्रार्थीगण के आवेदन को स्वीकार कर नियमानुसार बाद जांच उपरोक्तानुसार अपनी कृषि जोत में आने जाने हेतु नया रास्ता का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण का आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण को जरीये नोटिस तलब किया गया। तहसीलदार शिव से मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारों को नया रास्ता खोलने की जानकारी दी गई कि मौका फर्द के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम एवं आवागमन हेतु एकमात्र विकल्प है, जिसमें रास्ते हेतु खसरा नम्बर 550, 551 रकबा क्रमशः 3.2375, 7.5352 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.1699, 0.2670 हैक्टेयर कुल रकबा 0.4369 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। उक्त रास्ते की चौड़ाई 18 फीट है। मौके पर टीला होने के कारण आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रास्ता खसरा नम्बर 550, 551 के मध्य से प्रस्तावित किया गया है। विप्रार्थी संख्या 2.1, 2.2 व 3 बावजूद तामिली अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है।


प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन कि तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता धारा 251 ए के आत्यांतिक आवश्यकता, निकटतम एवं अन्य प्रावधानों को पूरा करता है तथा उक्त प्रस्तावित रास्ता प्रार्थीगण को स्वीकार होने से तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार आवागमन हेतु नया रास्ता कटाण का आदेश फरमाया जावे।

हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस को सुना एवं पत्रावली तथा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार मौका रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 550, 551 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है, जो सरकारी खसरा है। प्रस्तावित रास्ते हेतु खसरा नम्बर 550, 551 रकबा क्रमशः 3.2375, 7.5352 हैक्टेयर में से


(Handwritten signature)

रकबा क्रमशः 0.1699, 0.2670 हैक्टेयर कुल रकबा 0.4369 हैक्टेयर भूमि उपयोग में ली जायेगी। मौका रिपोर्ट पक्षकारान् की उपस्थिति में तैयार की गई है तथा प्रस्तावित मार्ग के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंचने का कोई अन्य रास्ता/विकल्प नहीं है। प्रस्तावित रास्ता निकटतम, लघुतम, सुगम एवं एकमात्र विकल्प है। उक्त रास्ते की चौड़ाई 18 फीट है। मौके पर खसरा नम्बर के किनारे बड़ा टीला होने के कारण आवागमन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रास्ता खसरा नम्बर 550, 551 के मध्य से प्रस्तावित किया गया है। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार रास्ता कटाण बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता निकालने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खातेदारी एवं कब्जासुदा खेत खसरा नम्बर 553 रकबा 17.8385 हैक्टेयर मौजा भीभड़ा, पटवार मण्डल मुंगेरिया तहसील शिव की भूमि में आवागमन हेतु विप्रार्थी तहसीलदार शिव के आधिपत्य के खेत खसरा नम्बर 550, 551 रकबा क्रमशः 3.2375, 7.5352 हैक्टेयर में से रकबा क्रमशः 0.1699, 0.2670 हैक्टेयर कुल रकबा 0.4369 हैक्टेयर भूमि का वर्तमान डीएलसी दर से दुगुनी राशि का भुगतान प्रार्थीगण द्वारा राजकीय खाता में जमा किये जाने के बाद प्रस्तावित रास्ते की भूमि का सरकारी खाते में राजकीय भूमि के रूप में अमलदरामद एवं नक्शा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है। साथ ही तहसीलदार शिव जमा की गई राशि का प्रमाण पत्र/रसीद अद्योहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। उक्त रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवागमन हेतु खुला रहेगा। तहसीलदार शिव द्वारा मौका फर्द के संलग्न प्रेषित प्रस्तावित नक्शा इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।


उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव

आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को सरे इजलास सुनाया।


उपखण्ड अधिकारी
(SDO) शिव